HRACIENT VISIUS The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 536] No. 536] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 29, 2011/चैत्र 8, 1933

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 29, 2011/CHAITRA 8, 1933

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2011

का.आ. 651(अ).—भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में सं. का.आ. 19(अ), दिनांक 6 जनवरी, 2011 भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की दिनांक 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना में,—

पृष्ठ 3,-

- (i) पैरा 3 (i) (य),-
- (अ) "सहित" शब्द के स्थान पर "विशेष रूप से" शब्द पहें ;
- (a) "मछुआरों" शब्द के स्थान पर "मछुआरा समुदाय" शब्द पहें ;

पृष्ठ 4,-

खंड 3 (ii) (ब) में,-

- (अ) पंक्ति 3 में "सीआरजेड-1(i)" के लिए "सीआरजेड-1(अ)", पहें ।
- (ब) पंक्ति 4 में "सीआरजेड-1(i)" के लिए "सीआरजेड-1(अ), पढ़ें ।

पृष्ठ 5,-

- (अ) पंक्ति 2 में पैरा 3 (vii) में, "यदि, ऐसी कोईएक वर्ष की अविधि में", के स्थान पर "एक वर्ष की अविधि के भीतर", पढ़ें ।
- (ब) पैरा (X)(अ) में, "ऐसे पोषक उपलब्ध नहीं है," के स्थान पर, ''वे खिनज जो सीआरजेड क्षेत्र से बाहर उपलब्ध नहीं है, और परंपरागत समुदायों द्वारा कुक्कुट एवं पशु आहार के लिए निर्जीव शीपियों का संग्रहण '' पढें।
- (स) पैरा 3(XIV) में, -''सुविधाएं'' के लिए ''सुविधाओं के अलावा'', पढ़ें।

पृष्ठ 6;-

- (अ) पैरा 4 (द्र) पंक्ति 4 में, "के मामले में" के स्थान पर "तथापि, हेतु" पढ़ें।
- (ब) पैरा 4 (i), पंक्ति 1 में "(ii)" के लिए "ब" पढ़ें ।

पुष्ठ 9,-

(ब) पंक्ति 2-3 में, "राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन", के स्थान पर "राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों", पढ़ें ।

पृष्ठ 10,-

(अ) खंड 6 (स) में, "सहित" शब्द को "विशेष रूप से" शब्द पढ़ें।

- (स) खंड 7 (i) अ (च) ''जीवमंडल रिजर्वी'' वाक्यांशों को ''पैरा (4) (ब) में वर्णितानुसार जीवमंडल रिजर्व'' वाक्यांश पढें ।
- (इ) खंड 7 (i) (इ) में, "पुरातात्विक धरोहर स्थल" वाक्यांश के स्थान पर "पुरातात्विक महत्व तथा धरोहर स्थलों के क्षेत्र अथवा संरचनाओं ब. निम्न ज्वार रेखा तथा उच्च ज्वार रेखा" वाक्यांशों के लिए "पुरातात्विक महत्व तथा विरासत स्थलों वाले क्षेत्र अथवा अवसंरचनाएं वाक्यांश पढ़ें ।

पृष्ठ 12,-

(अ) पंक्ति 1, टिप्पणी के अंतर्गत खंड 8 में, "मौजूदा उपयोग" शब्दों के लिए "मौजूदा प्रयुक्त" शब्द पढ़ें ।

पृष्ठ 14,-

- (अ) पंक्ति 4 में खंड 8 (iii)(ii) में, "सहित" शब्द के लिए "विशेष रूप से" शब्द पढ़ें ।
- (ब) खंड 8 (iii)(ii) में ''सहित'' शब्द के लिए ''विशेष रूप से'' शब्द पढ़ें ।

पृष्ठ 16,-

(ब) खंड V में संख्या "(iii)" के लिए संख्या (ii) प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

पुष्ठ 18,-

- (अ) उपबंध के अंतर्गत खंड 8 (V) (ब) 2(ii) में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना को दी गई मंजूरी की तारीख'' वाक्यांशों के स्थान पर ''6 जनवरी, 2011 को'' प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (ब) उपबंध के अंतर्गत खंड 8 (V) (स) 2(ii) में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना को दी गई मंजूरी की तारीख'' वाक्यांशों के स्थान पर ''6 जनवरी, 2011 को'' प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

पुष्ठ 21,-

- (ब) पैरा 8(V) (4)(ब), पंक्ति 2 में "अचरा-रत्नागिरि शब्दों के लिए" रत्नागिरि में अचरा "शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।
- (ङ) पंक्ति ६ में पैरा ८(V) (४)(ब) में ''मछुआरों'' शब्द के लिए ''मछुआरा समुदाय'' शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

पुष्ठ 27,-

(अ) अनुबंध ।।। (i)(अ), पंक्ति 1-2 में "निम्न ज्वार रेखा तथा उच्च ज्वार रेखा" शब्दों के लिए "सीआरजेड-।।। में निम्नज्वार रेखा तथा उच्च ज्वार रेखा" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

[फा. सं. 11-83/2005-आईए-III]

डॉ. निलनी भट्ट, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th March, 2011

S.O. 651(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests dated the 6th January, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide number, S.O.19 (E), dated the 6th January, 2011,

At page 38,-

In para 3(i)(e),-

(a) for "including" read "especially";

(b) for "fishers" read "fisher folk".

At page 39,-

In para 3 (ii)(b),-

(a) In line 4, for "CRZ-I(i)" read "CRZ-I(A)";

(b) In the proviso, in line 4 for "CRZ-I(i)" read "CRZ-I(A)".

At page 40,-

(a) In para 3(vii), in line 2, for "if any, shall be phased out within a period of one year" read "within a period of one year";

(b) In para 3(x)(a) for "those rare minerals not available outside the CRZ area" read "those minerals not available outside the CRZ area, and collection of dead shells by the traditional communities for poultry and animal feed supplements;"

(c) In para 3(xiv) for "facilities" read "Except facilities".

At page 41,-

- (a) In para 4(d), in line 2, for "and in case of" read ", however, for";
- (b) In para 4(i), in line 1, for '(ii)' read '(b)';

At page 42,-

In para 4.2, after (iii) and before (v) for "(vi)" read "(iv)".

At page 43,-

In para 6(a),-

(a) In line 1, for "the provisions", read "the provisions of"

(b) In line 4, for the "State Government or the Union Territory Administration" read "State Governments or the Union territory Administrations,"

At page 44,-

- (a) In para 6(c) for "including" read "especially";
- (b) In para 6(d) for "including" read "especially";
- (c) In para 7(i)A,-
 - (i) In item (e), for "Biosphere Reserves" read "Biosphere Reserve as enumerated in para V(4)(b)"
 - (ii) In item (k), for "Areas or structures of archaeological importance and heritage sites. B. The area between Low Tide Line and High Tide Line" read "(k) Areas or structures of archaeological importance and heritage sites".
 - "B. The area between Low Tide Line and High Tide Line."
 - (d) In para 7(ii) in the Explanation, in line 1, for, "For the purposes of the expression "developed area" read "Expression developed area";

At page 45,-

In para 8 in the Note,

(a) In line 1, for "existing use" read "'existing', used";

(b) In line 3, for "wherein CRZ notification" read "when the CRZ notification, 1991".

At page 46,-

In para 8(III), in item (ii)

- (a) In line 5, for "including" read "especially";
- (b) In line 8, for "including" read "especially".

At page 48,-

- (a) In para 8(IV) for "impugning" read "impinging";
- (b) In para 8(V)(1) for "(iii)" read "(ii)".

At page 49,-

(a) In para 8 (V)(b) in item 2 in the Provision in para (ii) in line 3, for "as on the date on which the project is granted approval by the competent authority" read "as on 6th January, 2011".

(b) In para 8(V)(c) in item 2, in sub item (ii) in line 2, for "as on the date on which the project is granted approval by the competent authority" read "as on 6th January, 2011".

At page 51,-

(a) In para 8(V)(2) in item (iii) in line 2, for "however" read ", however,";

(b) In para 8(V)(3) in item (i) in line 4, for "Grama Panchayat" read "Gram Panchayat";

(c) In para 8(V)(3) in item (vii) in line 1, for "has" read "have".

At page 52,-

(a) In para 8(V)(4) in item (a) in line 2, for "areas which shall be" read "area shall be";

(b) In para 8(V)(4) in item (b) in line 2, for "Achra-Ratnagiri" read "Achra in Ratnagiri";

(c) In para 8(V)(4) in item (b) in line 6, for "fisher" read "fisher folk".

At page 56,-

(a) In Annexure III in item 1 (a) in line 2, for "Low Tide Line and High Tide Line" read "Low Tide Line and High Tide Line in CRZ-III".

[F. No. 11-83/2005-IA-III] Dr. NALINI BHAT, Scientist 'G'